प्रेस नोट

थाना नवाबाद, जनपद झांसी

दिनाँक 04.01.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही,**
- **नकली नोट का उपयोग करने को लेकर बाल अपचारी को हिरासत में लिया गया,**
- **₹500/- के दो संदिग्ध (नकली) नोट बरामद.**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 04.01.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत क्राफ्ट मेला मैदान में आयोजित झांसी महोत्सव में मेला मैनेजर अभिषेक कुमार के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक बाल अपचारी को नियमानुसार हिरासत में लिया गया। जिसके जामातलाशी से ₹500/- के दो संदिग्ध (नकली) नोट बरामद हुए। उक्त सम्बन्ध में थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 180 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 04.01.2026 को थाना नवाबाद क्षेत्रान्तर्गत क्राफ्ट मेला मैदान में आयोजित झाँसी महोत्सव के दौरान मेला मैनेजर श्री अभिषेक कुमार द्वारा मेला चौकी प्रभारी उ0नि0 श्री भगत सिंह को सूचना दी गई कि जलपरी टिकट काउंटर पर एक बालक के पास ₹500/- के दो संदिग्ध (नकली) नोट पाए गए हैं।

उक्त सूचना पर उ0नि0 श्री भगत सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर तैनात बाल कल्याण अधिकारी म0उ0नि0 सुजाता के साथ मौके पर पहुँचकर उक्त बालक की जाँच की गई। बालक की आयु लगभग

16 वर्ष पाई गई। बालक की जामातलाशी से ₹500/- के दो संदिग्ध (नकली) नोट बरामद हुए। असली ₹500/- के नोट से मिलान करने पर प्रथम दृष्टया उक्त नोट नकली प्रतीत हुए।

नकली नोटों के संबंध में बालक से पूछताछ की गई, जिस पर बालक द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों ₹500/- के नकली नोट उसे सचिन रिछारिया पुत्र ओमकार रिछारिया निवासी वीरू नगर, इंडियन मैरिज के पास, राजगढ़, थाना प्रेमनगर, जनपद झाँसी द्वारा चलाने हेतु दिए गए थे तथा इससे पूर्व भी वह सचिन रिछारिया द्वारा दिए गए कुछ नकली नोट चला चुका है।

उपरोक्त प्रकरण में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 10/2026 धारा 180 बीएनएस बनाम अभियुक्त सचिन रिछारिया उपरोक्त एवं एक बाल अपचारी (उम्र लगभग 16 वर्ष) पंजीकृत किया गया है। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>अभियुक्त–</u>

1. बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष
2. सचिन रिछारिया पुत्र ओमकार रिछारिया निवासी वीरू नगर इंडियन मैरिज के पास राजगढ थाना प्रेम नगर जनपद झांसी

<u>बरामदगी -</u> 500/- रूपये के दो नोट (प्रथमदृष्टया नकली प्रतीत हो रहे हैं।)

<u>कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम -</u>

1. उ0नि0 श्री भगत सिंह, चौकी प्रभारी किला, थाना नवाबाद जनपद झाँसी
2. म0उ0नि0 सुजाता, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी
3. हे0का0 273 जितेन्द्र कुमार, थाना नवाबाद, झाँसी